



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 417/2018

अपीलार्थी

रवि कुमार
जौडिया] तहसील कोटकासिम]
अलवर, राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त शासन सचिव
ग्रुप-3, शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 14-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री खेमाराम यादव, अनुभागाधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27-06-2017 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर वर्ष 1997 से आज तक कोर्ट कासिम जिला अलवर के ब्लॉक में कार्यरत एएनएम कर्मियों की संख्या सहित 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि आवेदक को सूचना नहीं मिलने पर अपीलार्थी ने विभाग को प्रथम अपील दिनांक 27-06-2017 को प्रस्तुत की। जिसका निस्तारण दिनांक 18-10-2017 को करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 18-10-2017 के पत्र द्वारा वांछित सूचना प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के अनुरूप उपलब्ध करादी गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-02-2018 प्रस्तुत किया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। साथ ही अवगत कराया है कि आवेदक को सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील दिनांक 27-06-2017 को प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 18-10-2017 के अनुसरण में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करादी गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने

के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त